


1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम “श्री गुरु कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट” होगा। एवं आजीवन यही रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PR

Y 854113

खान (सहानु)
उत्तरप्रदेश लोकालय


(2)

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय बी-30, जनकपुरी अजन्ता कालोनी, मेरठ होगा। परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार हेगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन-5000/-रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण, अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।
4. यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा सर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उददेश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यह कि ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, रथाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यह कि उक्त उददेश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गय उददेश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वार्गीण रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

विना ट्रस्टीगण

धृष्णु

Ch. D. M. V.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 854112

(3)

ट्रस्ट के उददेश्य एवं कार्य


1. मैडिकल कालिज, डेन्टल कालिज, एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन करना।
2. इंजीनियरिंग कालिज तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन करना।
3. स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना। सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन, व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रबन्धक आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
4. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
5. शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
6. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना, तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चों को देना।
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेश प्रमोटर एवं मार्स्टर फेन्वाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हे कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।
9. अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

१८८५३

८५

१८८५३





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 854111

(4)

10. प्रकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों एवं ग्रामों में पेड़ लगाना जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अर्वाच कब्जे भी न हो पाये।
11. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
12. स्कूल व कालिज में छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
13. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
14. समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।
15. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
16. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उददेश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।
17. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

कार्यक्षेत्र

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति

बलराजामी

धूम

चौधरी

प्रियंका

प्रियंका

प्रियंका



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 854110

(5)

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसा कि ट्रस्टीगण उचित समझे उपरोक्त उनके कार्य में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
10. यह कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष अथवा सचिव व कोषाध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। ट्रस्टीगण/व्यवस्थापकों को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेगे किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
11. यह कि प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नाम नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी होगा तथा नव नियुक्त ट्रस्टियों को एदतद्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा। इन सभी नियुक्तियों पर अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वोपरि माना जायेगा व उनके द्वारा नये ट्रस्टी का नाम तय होगा।

बालरामानन्द

धृष्णु

दलीप



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 854109

(6)


12. यह कि व्यवस्थापको / ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतू अपने में से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिये हैं, अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा लेकिन समस्त अधिकार नये ट्रस्टी बनाने के लिए केवल अध्यक्ष व सचिव के ही होगे, तथा अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगे। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा समय से पहले भी अध्यक्ष एवं सचिव बाकी पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है।
13. यह कि बलराज सिंह पुत्र रखो श्री केहर सिंह प्रथम अध्यक्ष व डा० अमरेश गोहित पुत्र श्री जे० आर० सिंह प्रथम सचिव व श्री राकेश कुमार पुत्र श्री बलराज सिंह प्रथम कोषाध्यक्ष निवासीगण बी-30, जनकपुरी अजन्ता कालोनी, मेरठ होगे, तथा उनके सहित ट्रस्ट के कुल पांच ट्रस्टी बनाये गये हैं जो निम्नवत हैं:-

 1. श्री बलराज सिंह पुत्र रखो श्री केहर सिंह निवासी बी-30, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी, मेरठ ————— अध्यक्ष
 2. डा० अमरेश गोहित पुत्री श्री जे० आर० सिंह निवासी — बी-30, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी, मेरठ ————— सचिव
 3. राकेश कुमार पुत्र श्री बलराज सिंह निवासी बी-30, जनकपुरी, अजन्ता कालोनी, मेरठ ————— कोषाध्यक्ष

८०१२/३१/५८

४४

१००५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 854108

(7)

4. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट सादुल्लापुर पावटी जिला गाजियाबाद ————— द्रस्टी
5. ललित कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट छबड़िया तहसील सरधना जिला मेरठ ————— द्रस्टी

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगे:-

अध्यक्षः— द्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, द्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व द्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना द्रस्ट के लिए द्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

सचिवः— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना द्रस्ट के नाम से सभी कानूनी कार्यवाही करना, द्रस्ट की बैठक बुलाने हेतु अध्यक्ष की सहमति से तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण करना एवं सूचना प्रेषित करना। द्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना द्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को लिख अध्यक्ष से सत्यापित करना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी द्रस्टियों को भेजना। द्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। द्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख रखवा व उनकी सुरक्षा करना। **कोषाध्यक्ष :-** द्रस्ट की समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट करना। द्रस्ट के समस्त व्यय जो कि सचिव/अध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो उनको

1
बालागढ़ी

24

Ch

अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के खातों का संचालन संयुक्त रूप से कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा जिसमें सचिव अवश्य रहेगें एवं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में से कोई भी एक।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे—न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष या सचिव द्वारा आहूत की जायेगी सर्व सम्पत्ति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेगे, तथा अध्यक्ष व सचिव का संयुक्त निर्णय ही सर्वोपरि होगा।
16. यह कि ट्रस्टीगण समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उददेश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।
17. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामंकन अपनी पत्नी या बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक का अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामंकन नहीं किया गया तो उक्त ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र या पुत्री या उसका कानूनी उत्तराधिकारी उक्त ट्रस्टी के स्थान पर ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एदतद्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा, तथा ट्रस्ट के व्यवस्थापकों के अलावा उनके उत्तराधिकारी ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी हैं और माने जायेंगे व उनको भी प्रथम ट्रस्टी के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे व उनकी पत्नी व सन्तानों को भी उन्हीं के समान अधिकार प्राप्त रहेंगे।
18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उददेश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को हाँगा। नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिए बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी। और उसके लिए बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना जरुरी होगा।
19. यह कि ट्रस्ट की बैठक सालमें कम से कम एक बार आवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय में सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

ब्राह्मणाम्

धृ

ज्ञानपूर्ण

20. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का एक बटा तीन होगा। अथवा किन्हीं दो ट्रस्टियों का जो भी अधिक होगा जिसमें एक अध्यक्ष व सचिव का होना अनिवार्य है यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीयों को सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
21. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद उनकी सन्तान अथवा कानूनी वारिस उसी प्रकार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। किन्तु उपरोक्त के अलावा व्यवस्थापकों अथवा ट्रस्टियों को ट्रस्ट की आय अपने निजी उददेश्यों हेतु प्रयोग करने का अधिकार न होगा।
22. यह कि संस्थापक/व्यवस्थापक द्वारा इस ट्रस्ट का गठन जनहित समाज सेवा तथा शिक्षा के प्रचार, प्रसार तथा अन्य पर्यावरणीय सुधारों तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से किया है जिसके लिये विभिन्न स्रोतों का गठन ट्रस्ट के द्वारा किया जायेगा जिससे होने वाली समस्त आय ट्रस्ट के विभिन्न स्रोतों में तथा समाजोत्थान में एवं शिक्षा के परिक्षेत्र को एवं उसके स्तर को बढ़ाने, गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने एवं अन्य पर्यावरणीय मानव कल्याण कारी, परियोजनाओं एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार में प्रयोग की जायेगी, संस्थापक/व्यवस्थापक अथवा ट्रस्टीगण का कोई निजि स्वार्थ इसमें निहित नहीं है और न ही होगा।
23. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्ट व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैकर, दलाल, एजेन्ट, अथवा अन्य व्यक्ति जिसके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गई हैं और उनके द्वारा किये गये काम से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी प्रकार की हानि होने पर उनके द्वारा जानबूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगे।
24. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उददेश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैक भी शामिल हैं को नियुक्त करने तथ उसे उनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के नाम से चालू खाता सावधि। जमा खाता सेविंग बैंक खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों का संचालन दो पदाधि। कारयों के हस्ताक्षर से होगा जिसमें एक सचिव के हस्ताक्षर अवश्य होगे व अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष में से किसी भी एक के हस्ताक्षरों से होगा।

ब्र०१२।३।१५६

५४



— G / १०१८५६ —




26. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिटठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसका आडिट चार्टेंड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
27. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
28. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रज्ञीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने वप धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने किराये पर देने हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा, तथा ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई भूमि/सम्पत्ति ट्रस्ट की भूमि/सम्पत्ति होगी तथा ट्रस्ट के लिए सम्पत्ति क्रय करने व विक्रय करने आदि के विलेख निष्पादन करके पंजीकृत कराने का अधिकार सचिव का होगा।
29. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा संशाल अथवा गिना शर्त विक्रय करना क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्र? की संविदा से परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगे।
30. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर व्यक्तिगण/वित्तीय संस्थाओं फर्म बैंक आदि के उधार/ऋण आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए उधार/ऋण बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा इन सभी कार्यों को करने का अधिकार ट्रस्ट के सचिव करेगे।
31. यह कि अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष व सचिव कों ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रों व अन्य परिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।
32. यह कि ट्रस्ट इनकम टैक्स एकट 1961 व वैल्थ टैक्स एकट 1957 या कोई भी अन्य एकट के अन्तर्गत आयकर के प्राविधानों के अनुसार छूट पाने की अधिकारी होगी और उसके लिए विभाग में कार्यवाही करेंगी। जैसे कि आयकर धारा 50 जी. अथवा कोई अन्य समान्तर धारा जो कि आयकर उएकट 1961 या उसके उत्तराधिकर में मान्य होगी, तथा आयकर अधिनियम के समस्त नियमों का पालन करेंगे।

बलरामामृ

०५

गोप्य



(11)

33. यह कि एदतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियां को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा, तथा इन सब कार्यों के लिए अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

अध्यक्ष श्री बलराज सिंह के बाये हाथ के उंगलियों के निशान



अध्यक्ष श्री बलराज सिंह के दाये हाथ के उंगलियों के निशान



सचिव डा० अमरेश गोहित के बाये हाथ के उंगलियों के निशान



सचिव डा० अमरेश गोहित के दाये हाथ के उंगलियों के निशान



बलराज सिंह

अम

चौधरी



न्यासी

Registration No.:

250

Year :

2,011

Book No. :

4

0101 बलराज सिंह

बलराज सिंह

स्व० केहर सिंह

वी 30 जनक पुरी अजन्ता कालोनी मेरठ/ वोटर कार्ड

अन्य



0102 अमरेश गोहित

अमरेश

जे आर सिंह

वी 30 जनक पुरी अजन्ता कालोनी मेरठ/ वोटर कार्ड

गृहिणी



0103 राकेश कुमार

बलराज सिंह

वी 30 जनक पुरी अजन्ता कालोनी मेरठ/ पैन कार्ड

अन्य



आज दिनांक 31/05/2011 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 400

पृष्ठ सं. 129 से 152 पर कमांक 250

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(अजय कुमार त्रिपाठी)

सब रजिस्ट्रार

मेरठ, (प्रथम)।

31/5/2011

